DSSSB TGT & PGT

Part-B

SCHOLAR BATCH

MODERN HISTORY

भारत छोड़ो आंदोलन

LIVE 26-07-2024 04:00 PM

गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट एवं मैकडोनाल्ड पंचाट

(गोलमेज सम्मेलन, कॅम्पूनल अवार्ड एवं पुना एक्ट-)

- 27 मई 1930 को साइमन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें प्रांतों द्वैध शासन को हटा कर वहां पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात की गई थी। परंतु गवर्नरों के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां बनाए रखी गई थी। केन्द्र में किसी प्रकार के परिवर्तन की बात नहीं की गई थी, इसलिए इसका भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया।

प्रान्तों में द्वैधशासन = प्रान्तीय विषयों को दो भागों में विभाजित

- आरक्षित (महत्वपूर्ण विषय)
  - ↓ शासन एवं प्रशासन का कार्य
  - गवर्नर जनरल + कौंसिल
- हस्तांतरित
  - ↓ प्रान्तीय विधानमण्डल के सदस्य = कानूनों का निर्माण ✓
  - ↓ (प्रशासन)

- साइमन आयोग की इसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया।

- आयोजन स्थल - सेंट जैम्स पैलेस, लंदन

- आयोजन का उद्देश्य - साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना
  उद्घाटनकर्ता - ब्रिटिश सम्राट जार्ज पंचम

- अध्यक्षता - ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैक्डोनाल्ड

- गोलमेज सम्मेलनों की संख्या – 3

प्रथम गोलमेज सम्मेलन

- आयोजन काल - 12 नवम्बर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ।

- भारत के प्रतिनिधि ने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये बंबई के बेलाई पियरे बंदरगाह से 'वायसराय ऑफ इंडिया' नामक जहाज से रवाना हुए

Date learn

प्रतिनिधियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण थे।

- ब्रिटेन के कंजर्वेटिव दल - लार्ड बील
- भारत के उदारवादी दल - तेज बहादुर सप्रू, चमनलाल सीतलवाड़, श्री निवास शास्त्री, सी. वाई चिंतामणि ।
- हिन्दू महासभा - बी. एस. मुंजे व एम. आर. जयकर

- सिक्ख - सरदार उज्जवल सिंह ✓
- क्रिश्चियन समुदाय - सर के. टी. पालः ✓
- दलित वर्ग - बी. आर. अम्बेडकर तथा राम बहादुर श्री निवास ।
  भारतीय व्यापारी – होमी मोदी ✓

- मुस्लिम - मु. अली, मु. शफी आगा खाँ, फज्लुल हक, मु. अली जिन्ना आदि

- इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि इस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस की भागीदारी के बिना किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सकता था इसलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भागीदार बनाए जाने का प्रयास प्रारंभ हो गया।

- तेज बहादुर सप्रू, एम. आर. जमकर तथा श्री निवास शास्त्री के प्रयासों से अंत में 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी - इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहकर पुकारा गया ।

- 17 फरवरी 1931 की सुबह नई दिल्ली स्थित वायसराय भवन में इरविन से बातचीत करने हेतु गांधी जी को जाते हुए विंस्टन चर्चिल ने देखा और - यह आदमी जो किसी जमाने में विलायत से बैरिस्टरी पास करके आया था था और अब राजद्रोही फकीर बन गया था, वायसराय के महल की सीढ़ियों पर अर्द्धनंगा दनदनाता हुआ चला जा रहा है, वहा जाकर सम्राट के साथ बराबरी से बैठकर समझौते की बातचीत करेगा ।"

- चर्चिल ने ही इस दौरान गांधी के 'भारत का अर्द्धनंगा फकीर' कहा।

गांधी -इरविन पैक्ट के प्रावधान

- हिंसा में लिप्त क्रांतिकारियों को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जायेगा ।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जायेगा ।
- कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपनी भागीदारी की स्वीकृति प्रदान कर दी

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन -

→ दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 सितंबर से - 1 दिसम्बर 1931 तक किया गया।

→ अंग्रेजी सरकार ने इसमें शामिल होने वाले नामों की घोषणा कर दी थी।

- ये नाम थे - डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, सर एम. आर. जयकर, श्री चमनलाल सीतलवाड़, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती सरोजनी नायडू, सर तेजबहादुर सप्रू, सर मिर्जा स्माइल, मो० अली जिन्ना, सर रामास्वामी मुदलियार आदि

- सरोजनी नायडू को भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में शामिल होना था।

- इस सम्मेलन में भाग लेने हेतु गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में बंबई बंदरगाह से एस. एस. राजपुताना नामक जहाज से रवाना हुये।

imp

- वे अपने साथ एक राष्ट्रवादी मुसलमान एम. ए. अंसारी को भी ले जाना चाहते थे, जिसकी अनुमति नए वायसराय विलिंग्डन ने नहीं दी थीं। गांधी के पहले ही भारतीय प्रतिनिधियों का एक दल एस° एस° मुल्तान नामक जहाज से लंदन के लिए रवाना हो चुके थे

- गांधी के साथ मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, उनका सबसे छोटा बेटा देवदास, उनकी अंग्रेज शिष्या मेडलिन स्लैंड जिन्होंने साबरमती आश्रम में रहने के पश्चात अपना नाम 'मीरा बेन" रख लिया एवं उनके सेक्रेटरी भी गए थे।

- वहां पर गांधी ने डोरिस लिस्टेसर और म्यूरिल लिस्टेयर के घर किंग्सले हॉल (ईस्ट इंडिया, लंदन) में मेहमान के रूप में ठहरे |

- ब्रिटिश सरकार के कुटिल चाल के कारण गांधी जी को वहां पर अल्प- संख्यक मुद्दे पर किसी के साथ समझौता नहीं हो सका, जिसके कारण उन्हें खाली हाथ भारत वापस लौटना पड़ा

- बंबई बंदरगाह पर वापस उतरने के बाद गांधी ने कहा था कि " मैं खाली हाथ वापस जरूर आया हूँ, लेकिन मैने भारत की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया।

- यहां पर आने के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारम्भ किया।
- गांधी को गिरफ्तार कर पुणे के यरवदा जेल में कैद कर दिया गया

मैक्डोनाल्ड आवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट (16 अगस्त 1932)-

- दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के पश्चात् ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्से मैक्डोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अपने तरफ से एक अवार्ड की घोषणा की, जिसे 'कम्यूनल अवार्ड' या 'मैक्डोनाल्ड अवार्ड ' या सांप्रदायिक पंचाट कटकर पुकारा गया

- इस घोषणा के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने दलित जातियों को भी एक पृथक समुदाय मानकर उसके लिए एक 'पृथक निर्वाचक मंडल' की

- ब्रिटिश सरकार के द्वारा बाटो और राज करो की नीति के अंतर्गत चली गयी यह एक और कुटिल चाल थी और गांधी को भी इस चाल की समक्ष थी।

- इसीलिये पुणे के यखदा जेल में उन्होंने इस अवार्ड के विरुद्ध - 20 सितम्बर 1932 को आमरण अनशन प्रारम्भ किया जो कि किसी मुद्दे पर भारत में किया जाने वाला उनका यह पहला आमरण अनशन था।

- अंततः 4 सितम्बर 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच एक समझौत हुआ, जिसे 'पूना पैक्ट ' के नाम से जाना गया। समझौते का अंतिम मसौदा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तैयार किया

- इस समझौते पर गांधी के समर्थकों एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किये थे। हस्ताक्षर करने वालों के नाम थे - डॉ. अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, एम. आर. जयकर तेजबहादुर सप्रू, श्री जी. वी. बिड़ला, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, राम बहादुर श्रीनिवास, श्री एम. सी रजा, श्री देवदास गांधी।

- कुछ स्त्रोतों के अनुसार गांधी जी ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे।

- दलितों के प्रतिनिधि के तौर पर अंबेडकर ने, जबकि हिंदुओं के प्रतिनिधि के तौर पर मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।

- चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस समझौते से इतने खुश थे कि उन्होंने भावावेग में अपनी कलम डॉ. अंबेडकर के कलम से बदल लिया।

- इसमें बी आर अंबेडकर ने दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और बदले में स्थानों के आरक्षण की बात को स्वीकार कर ली।

- प्रांतीय विधान सभाओं मे उसके आरक्षित स्थान 41 से बढ़कर 140 कर दी गयी, जबकि केन्द्रीय विधानसभा में कुल का 18% स्थान दिया।

- 26 सितम्बर 1932 को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि पूणा समझौते को ब्रिटिश संसद के समक्ष मान्यता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा

- इसे सुनने के बाद गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया।

- 14 अगस्त 1831 को बंबई में महात्मा गांधी से समझौते के दौरान अंबेडकर ने कहा था – “इतिहास बतलाता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, लेकिन स्तर नहीं। "

- इस समझौते के बाद गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बजाय हरिजनोत्थान आंदोलन पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया। इसी कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन इस चरण में प्रभावशाली नहीं रहा।

- गांधी ने 30 सितंबर 1932 को अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ के नए नाम से पुकारा जाने लगा।

- संघ का मूल संविधान गांधी ने स्वयं तैयार किया था। प्रसिद्ध उद्योग पति घनश्याम दास बिड़ला इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, जबकि अमृतलाल ठक्कर, जो ठक्कर बापा' के नाम से जाने जाते थे, इसके संस्थापक सचिव थे।

तृतीय गोलमेज सम्मेलन

आयोजन काल - 17 नवम्बर से 24 दिसम्बर 1932 तक |

- इस सम्मेलन में एक बार फिर कांग्रेस ने भागीदारी नहीं की। मोहम्मद अली जिन्ना को इस सम्मेलन में बुलाया ही नहीं गया।

- बी. आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन मेंभाग लिया ।
- इस सम्मेलन में संघीय सरकार पर हुये विचार विमर्श पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया जो अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 का मूलाधार बना।